

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 19.03.2023**

**थाना छपिया क्षेत्र के अन्तर्गत हत्या करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल बरामद:-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर के नेतृत्व में थाना छपिया पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 70/2023 धारा 323, 302 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त हरिशंकर को गिरफ्तार कर लिया गया उक्त अभियुक्त ने वादी मुकदमा के भाई को जान से मारने की नीयत से लोहे की राड से मारा पीटा था जिसकी दवा इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। जिसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा द्वारा थाना छपिया में अभियोग पंजीकृत कराया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

01. हरिशंकर पुत्र मुन्नीलाल निवासी ग्राम तेन्दुआरानीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा ।

**पंजीकृत अभियोग:-**

01. मु0अ0सं0 70/2023 धारा 323, 302 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तारकर्ता टीम:-**

प्रभारी निरीक्षक सतानन्द पाण्डेय मय टीम थाना छपिया जनपद गोण्डा।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 19.03.2023**

**फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन का बैनामा कराने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना मोतीगंज पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0-271/2022 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भा0द0वि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शिवदयाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी की जमीन को कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर फर्जी तरीके से जमीन का बैनामा करा लिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना मोतीगंज गोण्डा में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. शिवदयाल पुत्र दिलेराम निवासी ग्राम तेन्दुआ मोहनी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0- 271/2022 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भा0द0वि0 थाना मोतीगंज, जनपद- गोंडा।

**गिरफ्तारकर्ता टीम-**

01. उ0नि0 उमेश कुमार वर्मा मय टीम थाना मोतगंज गोण्डा।

## **कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 19.03.2023**

### **शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 21 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### **07 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-**

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना खोड़ारे पुलिस ने 06, थाना मनकापुर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### **अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-**

#### **01. थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. श्रीमती केवला पत्नी जगतराम निवासी भोपालपुर चौबे थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 128/23, 02. ननकू पुत्र रामअशीष निवासी खटिकनपुरवा मौजा भुड़कुड़ा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 19 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 130/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### **02. थाना मनकापुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. ओमप्रकाश यादव पुत्र श्यामलाल निवासी खुशहाली जोत अशरफपुर थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 168/23, 02. माला पत्नी बड़कऊ निवासी ग्राम महुआडीह अशरफपुर थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 169/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।